मनिका सर्वे 2013:– तथ्यों का सारांश

यह प्रतिवेदन उन तथ्यों का सारांश है जो पारिवारिक सर्वे के दौरान निकलकर आये हैं। विस्तृत सर्वे का यह कार्यक्रम लातेहार जिलान्तर्गत मनिका प्रखण्ड के 4 पंचायतों के 4 गांवों में की गई है। यह सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही 5 अधिकार आधारित योजनाओं को केन्द्रित करते हुए की गई है। इन पांचों योजनाओं में समेकित बाल विकास योजना, मध्याह्न भोजन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, लक्षित जन वितरण प्रणाली, एवं पेंशन योजनाएं शामिल हैं। प्रत्येक गांव में सर्वे टीम के द्वारा एक ग्राम प्रश्नावली, 25 पारवारिक प्रश्नावली, 12 पेंशन प्रश्नावली तथा उस गांव के सभी विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन सूचि का भौतिक सत्यापन किया गया गया है। गांव स्थित राशन दुकान का जांच किया गया। ये चार गांव हैः– विशुनबांध पंचायत का विशुनबांध गांव, कोपे का भटको, जान्हों का पटना एवं बन्दुआ पंचायत का पूर्णी पल्हेया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

- सर्वे में सम्मिलित सभी गांवों में वित्तीय वष्र 2008–09 के बाद बहुत कम योजनाओं संचालित की गई हैं।
- बैंक एवं पोस्ट ऑफिस से मजदूरी भुगतान अनिवार्य होने के बावजूद यह पाया गया है कि अभी भी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नगद रूप में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जान्हों पंचायत के पटना गांव में यह पाया गया कि वर्ष 2013 में भी मजदूरों को बिचौलियों द्वारा खात से राशि की निकासी कर नगद भुगतान किया गया है।
- अधिकांश रोजगार कार्डधारियों ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में कार्य नहीं किया है। इसके बावजूद इलेक्टॉनिक जॉब कार्ड में फर्जी कार्य दिवस दर्ज कर राशि का भुगतान दिखाया गया है।

लक्षित जनवितरण प्रणाली

- सर्वेक्षित सभी गांवों में राशन दुकान से लाभुकों को राशन का वितरण किया जा रहा है लेकिन किसी भी राशन दुकान से डीलरों द्वारा लाभुकों को निर्धारित 35 किलो खाद्यान्न वितरण नहीं किया जा रहा है। राशन वितरण की मात्रा 30 से 32 किलो प्रति लाभुक वितरण किया जा रहा ह।
- अतिरिक्त बी0 पी0 एल0 लाभुकों को राशन वितरण मामले में राशन डीलर और लाभुक दोनों में ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राशन का आवंटन कब होगा इसकी कोई कारगर प्रणाली नहीं है। लाभुकों को यह भी मालूम नहीं है कि राशन कब मिलेगा और भविष्य मे यह मिलेगी भी या नहीं।
- विशुनबांध में यह पाया गया कि राशन के लाभुक यदि 15वीं तिथि को खाद्यान्न ले पाने में असमर्थ होते हैं तो अगले दिन उन्हें खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है।

- लाभुकों को निर्धारित मात्रा 35 किलोग्राम से कम राशन देने के मामले पर राशन डीलरों का कहना है कि मनिका स्थित गोदाम से ही उन्हें कम राशन आवंटित की जाती है।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 में डोर स्टेप डिलीवरी सेवा बन्द है जिसके कारण राशन डीलरों को अपने खर्चे से मनिका स्थित गोदाम से दुकान तक खाद्यान्न उठाव का खर्च स्वयं वहन करना पड़ रहा है।

पेंशन योजनाएं (विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन)

- पेंशन लाभुक सूचि में जो नाम दर्ज हैं, ज्यादातर योग्य लाभुक हैं। लेकिन पेंशन राशि का भुगतान नियमित अर्थात प्रत्येक माह के 7वीं तिथि को नहीं किया जा रहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद भुगतान प्रणाली की कोई नियत तिथि निर्धारित नहीं की गई है। पेंशन राशि भुगतान की सूचना लाभुकों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिसके कारण लाभुक बार–बार बैंक/पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगाते परेशान होते हैं।
- मनिका प्रखण्ड में अंतिम बार पेंशन राशि का भुगतान मार्च के महीने में की गई है और वह भुगतान भी जनवरी 2013 का था।
- सर्वे में दो बातें स्पष्ट तौर पर सामने आये हैं पहला यह कि कुछ पेंशनधारियों के पासबुक अद्यतन नहीं है तथा कुछ पासबुक ऐसे मिले जिनमें खाते खोलने के उपरान्त किसी तरह की प्रवृष्टि दर्ज नहीं है।
- प्रत्येक गांव में ऐसे भी लाभुक पाये गये हैं जिनके नाम बी0 पी0 एल0 कार्ड में दर्ज है। पेंशन पाने के सारी आहर्त्ताएं पूरी करते हैं। इसके बावजूद वे पेंशन योजना के लाभ से वंचित हैं।
- सभी पेंशनधारियों को भुगतान लेने के लिए मनिका स्थित बैंकों में जाना पड़ता है जिसमें पूरा एक दिन का समय लग जाता है। बैंकों अथवा पोस्ट ऑफिस में भी ऐसे असहाय वृद्धों के पेंशन भुगतान के लिए कोई अलग से भुगतान खिड़की की व्यवस्था नहीं है।
- सभी गांव में 3 से 5 ऐसे पेंशनधारी मिले जो कुछ सालों पूर्व में ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद उनके खाते में पेंशन की राशि नियमित रूप से भेजी जा रही है और वह राशि उन खातों में अनुपयोगी पड़े हुए हैं।
- मनिका अंचल अंतर्गत विधवा पेंशन की कुल स्वीकृत सूचि 1187 में से 43 ऐसे नाम मिले हैं जिनके नाम दोहरे रूप में नाम दर्ज हैं। इसी भांति वृद्धावस्था पेंशन की कुल सूचि 3960 में 41 नाम दोहरे रूप में दर्ज हैं।
- बैंकों के स्तर पर दोहरे नामवाले लाभुकों को पेंशन राशि का भुगतान नहीं की जाती है। बल्कि अतिरिक्त राशि चेक के माध्यम से अंचल को वापस कर दी जाती है। इस कारण बहुत सारे जरूरतमंद वृद्ध पेंशन योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं।

- पेंशन धारियों के मामले में राशन डीलरों खासकर विशुनबांध का कथन यह है कि पेंशन और राशन दोनों का लाभ एक साथ नहीं दिया जा सकता है ऐसा कर उन्होंने पेंशनधारियों को राशन देना बंद कर दिया है।
- झारखण्ड राज्य के ही दुमका जिले की तुलना में लातेहार जिले के मनिका प्रखण्ड में लाभुकों के चयन एवं स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका कम हुई है इसके लिए जिला प्रशासन की जनपक्षीय पहल सराहनीय है। उसे आगे भी इस प्रक्रिया का जारी रखने की जरूरत है।

समेकित बाल विकास योजना

- आंगनबाड़ी केन्द्रों का दायरा काफी बढ़ा है। सर्वे में यह निकलकर सामने आया है कि आंगनबाड़ी केन्द्र और टोला, बसाहटों की दूरी काफी अधिक होने के कारण आज भी बहुत सारे बच्चे आंगनबाड़ी मं मिलने वाली सेवाओं से वंचित है।
- सर्वेक्षित आंगनबाड़ी केन्द्रों में वर्त्तमान में जो सेवाएं नियमित रूप से दी जा रही हैं उनमें टीकाकरण, सूखा राशन वितरण, स्वास्थ्य जांच एवं आयरन की गोली का वितरण शामिल हैं।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों में जिन सेवाओं से लोंगां को वंचित किया जा रहा है वो हैं मीनू के अनुसार नियमित रूप से पोषाहार का वितरण न करना, स्कूल पूर्व शिक्षा एवं रेफरल सेवाएं शामिल हैं।
- कुछ आंगनबाड़ी केन्द्रों में आज भी आधारभूत संरचानाएं उपलब्ध नहीं हैं। जर्जर और नीजि घरों में केन्दों का संचालन किया जा रहा है।

मध्याह्न भोजन योजना

- सर्वेक्षण में सम्मिलित गांवों में मध्याह्न भोजन सभी विद्यालयों में नियमित रूप से दी जा रही है लेकिन मीनू का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, खासकर सप्ताह में एक दिन अण्डा स्कूली बच्चों को नहीं दी जा रही है।

निष्कर्ष

अधिकांश योजनाओं (मनरेगा को छोड़कर) में विगत् वर्षों में काफी सारे सुधार हुए हैं परन्तु अभी भी सामान्य स्थिति बहाल नहीं किये जा सके हैं। आज भी बहुत सारे परिवारों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। ऊपर वर्णित सारे अधिकार अभिवंचित समुदायों के लिए बेहद और अहम् जरूरत है। समस्त अधिकारों को अभिवंचित समुदायों के लिए सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है।

महात्मा गांधो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजनाओं की स्थिति बहुत ही गंभीर है। गांवों में योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं के बराबर हो रहा है। देरी से मजदूरी भुगतान के मामले सभी योजनाओं में है। यह स्थिति मजदूरों को अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर करती है। उपरोक्त सारे योजनाओं में तत्काल युद्धस्तर पर सुधार करने की नितांत आवश्यकता है।